



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1-खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 19 नवम्बर, 1976
कार्तिक 28, 1898 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 4889/सत्रह-वि-1-167-76
लखनऊ, 19 नवम्बर, 1976

अधिसूचना
विनिध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर विधेयक, 1976 पर दिनांक 17 नवम्बर, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36, 1976)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश में पशुओं के क्रय पर कर का उद्ग्रहण करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पशु क्रय-कर अधिनियम, 1976 कहा जायगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

परिभाषाएं

2.- इस अधिनियम में . .

- (1) 'अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु-कर अपील प्राधिकारी से है ;
- (2) 'निर्धारण प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु-कर निर्धारण प्राधिकारी से है ;
- (3) 'पशु' का तात्पर्य गाय, भैंस, ऊँट, हाथी, घोड़ा, गदहा, टट्टू, बकरी, भेड़ या सुअर या उनमें से किसी की सन्तति से है, चाहे वह नर हो या मादा और किसी भी उम्र का हो ;
- (4) 'पशु क्रय-कर' या 'कर' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय कर है ;
- (5) 'संग्रह प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन नियुक्त पशु-कर संग्रह प्राधिकारी से है ;
- (6) 'बाजार' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाय, लगने वाले हाट, मेला या प्रदर्शनी से है, जहाँ पशुओं के विक्रय का व्यवहार व्यापक रूप से तय किया जाय, दर्ज किया जाय या सम्पन्न किया जाय ;
- (7) 'कीमत' का तात्पर्य पशु क्रय करने के लिए प्रतिकल के रूप में केता द्वारा नकद या वस्तु रूप में दी गयी या देय राशि से है, और जब वह वस्तु रूप में हो तो उसके बराबर नकद राशि से है, और कीमत में गिरवी के व्यवहार की स्थिति में, गिरवी से प्राप्त राशि भी सम्मिलित है ;
- (8) 'केता' का तात्पर्य बाजार में स्वयं अपनी ओर से या दूसरे की ओर से पशु क्रय करने वाले व्यक्ति से है और उसमें बाजार में गिरवी रखे गये पशु का पण्यमदार भी सम्मिलित है ;
- (9) 'विक्रय' का तात्पर्य कीमत के बदले में स्वामित्व के अन्तरण से है, और इसमें गिरवी का अन्तरण भी सम्मिलित है और पद 'क्रय' का तद्नुरूप अर्थ लगाया जायगा ;
- (10) 'विक्रेता' का तात्पर्य बाजार में स्वयं अपनी ओर से या किसी दूसरे की ओर से पशु का विक्रय करने वाले व्यक्ति से है ।

अध्याय 2

कर का अधिरोपण

3.- राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित दिनांक पर और दिनांक से, बाजार में पशु के विक्रय के प्रत्येक व्यवहार पर, अनुसूची में दी गई दर पर, केता द्वारा राज्य सरकार को कर दिया जायगा जो पशु क्रय-कर कहलायेगा ।

स्पष्टीकरण - जिस स्थान पर बाजार लगता है, उस स्थान से पांच किलोमीटर के भीतर किसी भी स्थान पर किये गये क्रय को बाजार में किया गया क्रय समझा जायगा ।

4.- जहाँ किसी व्यवहार के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन कोई कर देय हो, वहाँ किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन पशु के क्रय या विक्रय पर कोई कर, उपकर, शुल्क या अन्य उद्ग्रहण देय नहीं होगा ।

5.- राज्य सरकार, जनताधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा, किसी केता या केताओं के किसी वर्ग को कर के भुगतान से छूट दे सकती है ।

अध्याय 3

कर और शास्ति की वसूली

6.- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी विशिष्ट क्षेत्र या विशिष्ट बाजार के लिए किसी व्यक्ति को, चाहे नाम से या पदनाम से, -

(क) कर और शास्ति का निर्धारण कार्य करने और किसी अन्य कार्य को, जो विहित किया जाय, करने के लिए 'पशु-कर निर्धारण प्राधिकारी' ;

(ख) इस अधिनियम में उपबन्धित अपील की सुनवाई और उसका निस्तारण करने के लिए 'पशु-कर अपील प्राधिकारी' ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कर और शास्ति का संग्रह या उसे वसूल करने के लिए 'पशु-कर संग्रह प्राधिकारी' ;

पशु के क्रय पर
कर का उद्ग्रहण

अन्य कर से
छूट

राज्य सरकार
को छूट देने की
शक्ति

प्राधिकारियों की
नियुक्ति

नियुक्त कर सकती है :

परन्तु एक से अधिक क्षेत्र या बाजार में एक ही कार्य के लिए एक ही प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है या, किसी विशिष्ट क्षेत्र या बाजार में एक ही कार्य के लिए एक से अधिक व्यक्ति नियुक्त किये जा सकते हैं।

7-- (1) राज्य सरकार, किसी बाजार में कर संग्रह का अधिकार, सार्वजनिक नीलाम या आपसी बातचीत द्वारा, एक बार में दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए ऐसी शर्तों और उपबन्धनों पर, जैसी राज्य सरकार उचित समझे, किसी व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन पट्टा की स्थिति में पट्टेदार को और उसके द्वारा कर का संग्रह करने के प्रयोजन के लिए उसके अधिकारों के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संग्रह प्राधिकारी समझा जायगा।

8-- (1) धारा 6 के अधीन संग्रह प्राधिकारी के रूप में नियुक्त ऐसे व्यक्ति से, जो सरकारी सेवा में न हो, ऐसी पर्याप्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जायगी जिससे इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी राशि का सरकारी कोषागार में जमा किया जाना सुनिश्चित हो जाय।

(2) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन पट्टेदार से अपेक्षा की जायगी कि वह पट्टे की शर्तों और निबन्धनों का सम्यक् पालन करने के लिए ऐसी प्रतिभूति दे, जैसी राज्य सरकार निर्देश दे।

9-- (1) कर की मांग करने पर भुगतान न करने की स्थिति में, संग्रह प्राधिकारी पशु का अभिग्रहण कर सकता है और इस प्रकार अभिग्रहण करने पर पशु को निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायगा।

(2) यदि पशु का अभिग्रहण किये जाने के 24 घंटे के भीतर कर और अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, और अभिग्रहण से उत्पन्न व्यय का भुगतान कर दिया जाय तो पशु को छोड़ दिया जायगा।

(3) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित दायों का भुगतान उक्त अवधि के भीतर न किया जाय तो निर्धारण प्राधिकारी पशु को बेच सकता है और कर, अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, और ऐसे अभिग्रहण और विक्रय के कारण हुए व्यय को काटने के पश्चात्, अधिशेष, यदि कोई हो, पशु के स्वामी को लौटा देगा।

परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किये गये ऐसे विक्रय पर इस अधिनियम के अधीन क्रेता द्वारा कोई कर देय नहीं होगा।

10-- यदि कोई क्रेता क्रय के समय या विहित अवधि के भीतर अपने द्वारा देय कर को सम्पूर्ण का भुगतान नहीं करता है तो वह देय कर के अतिरिक्त निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का भी देनदार होगा।

परन्तु क्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायगी।

परन्तु यह भी कि शास्ति की राशि अदत्त कर की राशि के पांच गुने से अधिक न होगी।

11-- संग्रह प्राधिकारी अपने द्वारा वसूल की गयी समस्त राशि को वसूल करने के दिनांक से तीन दिन के भीतर सरकारी कोषागार में जमा करेगा जिसके न करने पर, वह इस प्रकार वसूल की गई राशि के अतिरिक्त, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति का देनदार होगा।

परन्तु उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायगी।

परन्तु यह भी कि शास्ति की राशि उसके द्वारा देय धनराशि से अधिक न होगी।

12-- इस अधिनियम के अधीन देय कर, या शास्ति की राशि या अन्य राशि, निर्धारण प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 4

अपील

13-- (1) कर निर्धारण या धारा 10 या धारा 11 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे आदेश की समूचना के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को विहित रीति से अपील कर सकता है।

परन्तु कोई ऐसी अपील ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पास निर्धारित कर और अधिरोपित शास्ति की, यदि कोई हो, कम से कम आधी राशि का भुगतान करने का सन्तोषप्रद सबूत न हो।

(2) अपील प्राधिकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण था।

(3) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसे आदेश देगा जैसा वह उचित समझे और वह आदेश अन्तिम होगा।

कर संग्रह का अधिकार ठेके पर देना

प्रतिभूति

पशुओं का अभिग्रहण करने की शक्ति

कर का भुगतान न करने के लिए शास्ति

कोषागार में जमा करना और व्यतिक्रम के लिए शास्ति

भू-राजस्व के रूप में वसूली

अपील

अध्याय 5

प्रकीर्ण

उपस्थित होने
आदि के लिए
बाध्य करने की
शक्ति

14--निर्धारण प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में वही शक्तियाँ होंगी जो किसी वाद पर विचार करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं:--

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना ;

(ग) किसी साक्षी के साक्ष्य या स्थानीय अन्वेषण या लेखों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ; और

(घ) ऐसा अन्तरिम आदेश देना जैसा न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो ;

और इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा ।

भूल सुधार

15--निर्धारण प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी निर्धारण या अपील के निस्तारण के दिनांक से एक बर्ष के भीतर किसी समय, यथास्थिति, निर्धारण या अपील के अभिलेख में प्रत्यक्ष किसी भूल का सुधार कर सकता है :

परन्तु कोई ऐसा सुधार, जिससे क्रेता का दायित्व बढ़ जाय, क्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं किया जायगा ।

वादों और कार्य-
वाहियों पर रोक

16--इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश पर आपत्ति करने के प्रयोजनार्थ किसी न्यायालय में कोई वाद ग्राह्य नहीं होगा, और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी किसी बात के लिए किसी प्राधिकारी या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम

17--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :--

(क) क्षेत्र के अनुसार बाजार का परिसीमन और उसकी अवधि ;

(ख) रीति जिसके अनुसार कर का निर्धारण, भुगतान या संग्रह किया जायगा ;

(ग) विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले प्रपत्र और रजिस्टर ;

(घ) धारा 7 के अधीन कर का संग्रह करने को ठेके पर देने की रीति ;

(ङ) धारा 9 के अधीन पशु का अभिग्रहण, उसकी अभिरक्षा और उसे छोड़ना ;

(च) धारा 13 के अधीन अपील का प्रपत्र और उसे करने की रीति और उस पर देय न्यायालय फीस ;

(छ) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ज) अधिक वसूल की गयी राशि को वापस करना ;

(झ) बाजार में पशु की खिची करने वाले विक्रेता द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसकी भूमि पर बाजार लगे, निर्धारण प्राधिकारी को दी जाने वाली सूचना ;

(ञ) नोटिस और आदेश तामील करने का प्रपत्र और उसकी रीति ;

(ट) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या किया जाय ।

अनुसूची
(धारा 3 देखिए)

पशु का नाम	प्रति पशु की दर
1—बकरा/बकरी या भेड़/जेड़ी	3
2—भैंस का बच्चा (नर)	5
3—ऊँट का बच्चा (नर या मादा)	5
4—गाय का बच्चा (मादा)	5
5—सुअर	5
6—भैंस का बच्चा (मादा)	10
7—गाय का बच्चा (नर)	10
8—गधा (नर या मादा)	10
9—गाय	15
10—उत्तर या दूँडू (नर या मादा)	15
11—भैंस	20
12—घोड़ा या घोड़ी	20
13—ऊँट (नर या मादा)	25
14—भैंस	30
15—बैल या साँड़	30
16—हाथी (नर या मादा)	50

स्पष्टीकरण—“बच्चा” का तात्पर्य पशु के उसी उम्र के बच्चे से है जो विहित की जाय।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYIKA ANUBHAG-I

No. 4889(2)/XVII-V-1—167-76

Dated Lucknow, November 19, 1976

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pashu Kraya-Kar Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 17, 1976:

THE UTTAR PRADESH CATTLE PURCHASE TAX ACT, 1976

(U. P. ACT NO. 36 OF 1976)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to provide for the levy of a tax on the purchase of cattle in Uttar Pradesh

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Cattle Purchase Tax Act, 1976.

Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in that behalf.

2. In this Act—

Definitions.

(1) “appellate authority” means the Cattle Tax Appellate Authority appointed under this Act;

(2) “assessing authority” means the Cattle Tax Assessing Authority appointed under this Act;

(3) "cattle" means a cow, buffalo, camel, elephant, horse, donkey, pony, goat, sheep or swine or the progeny of any of them, whether male or female, and of any age;

(4) "cattle purchase tax" or "the tax" means the tax levied under this Act;

(5) "collecting authority" means the Cattle Tax Collecting Authority appointed under this Act;

(6) "market" means a *hat*, fair or exhibition where mass transactions of sale of cattle are settled, entered into or effected, held within such area and such period as may be prescribed;

(7) "price" means the amount paid or payable by the purchaser as consideration for the purchase of cattle whether in cash or kind, and when in kind its cash equivalent and in case of a transaction of pledge, also includes the amount secured by the pledge;

(8) "purchaser" means a person purchasing cattle in a market, whether on his own behalf or on behalf of another, and includes a pawnee of a cattle pledged in a market;

(9) "sale" means a transfer of ownership in exchange for a price, and includes a transaction of pledge, and the term "purchase" shall be construed correspondingly;

(10) "seller" means a person selling cattle in the market, whether on his own behalf or on behalf of another.

CHAPTER II

Imposition of the Tax

Levy of tax on purchase of cattle. 3. On and from the date notified by the State Government in this behalf there shall be paid to the State Government by the purchaser in a market, a tax to be called cattle purchase tax, on every transaction of sale of cattle at the rate given in the Schedule.

Explanation—A purchase made at any place within the radius of five kilometres of the place where a market is being held shall be deemed to be a purchase in the market.

Exemption from other taxes. 4. No tax, cess, duty or other levy on the sale or purchase of cattle, under any other Uttar Pradesh Act shall be payable where in respect of transaction a tax is payable under this Act.

Power of the State Government to exempt. 5. The State Government may, in the interest of the general public, by notification exempt any purchaser or class of purchasers from the payment of the tax.

CHAPTER III

Realisation of the tax and penalty

Appointment of authorities. 6. The State Government may by notification appoint for a particular area or a particular market any person, either by name or by designation—

(a) a "Cattle Tax Assessing Authority" to perform the functions of assessing the tax and penalty and to perform any other function as may be prescribed;

(b) a "Cattle Tax Appellate Authority" to hear and dispose of appeals provided for in this Act;

(c) a "Cattle Tax Collecting Authority" to collect or realise the tax and penalty under this Act:

Provided that the same Authority may be appointed for the same function in more than one area or market or, more than one person may be appointed for the same functions in a particular area or market.

Farming out of the right to collect the tax. 7. (1) The State Government may lease the right to collect the tax in a market, to any person by public auction or by private negotiations, for a period not exceeding two years at any one time, on such terms and conditions as the State Government may deem fit.

(2) In the case of lease under sub-section (1) the lessee and every person appointed by him as his agent for the purpose of collection of the tax shall be deemed to be a collecting authority appointed under this Act.

8. (1) A person not in the service of the Government, appointed Collecting Authority under section 6 shall be required to furnish security adequate to ensure the deposit in Government Treasury of the realisations made under this Act. Security.

(2) A lessee under sub-section (1) of section 7 shall be required to furnish such security for due fulfilment of the terms and conditions of the lease as the State Government may direct.

9. (1) In case of non-payment of the tax on demand, the Collecting Authority may seize the cattle and upon such seizure the cattle shall be produced before the assessing authority. Power of seizure of cattle.

(2) If the tax, together with penalty if any imposed, and expenses arising from such seizure is paid within 24 hours from the seizure, the cattle shall be released.

(3) If the dues mentioned in sub-section (2) are not paid within the said period the assessing authority may sell the cattle and after deducting the tax, the penalty, if any, imposed and the expenses occasioned by such seizure and sale, refund the balance, if any, to the owner of the cattle :

Provided that no tax under this Act shall be payable by the purchaser at such sale by the assessing authority.

10. If a purchaser fails to pay the entire amount of the tax payable by him at the time of purchase or within the prescribed period, he shall be liable to pay in addition to tax due, penalty as imposed by the assessing authority : Penalty for non-payment of the tax.

Provided that no penalty shall be imposed without giving to the purchaser an opportunity of being heard :

Provided further that the amount of penalty shall not exceed five times the amount of the tax remaining unpaid.

11. The Collecting Authority shall deposit all amount realised by him in the Government Treasury within three days of realisation failing which he shall be liable to pay, besides the amount so realised, a penalty imposed by the assessing authority : Deposit in Treasury and penalty on default.

Provided that no penalty shall be imposed without giving him an opportunity of being heard :

Provided further that the amount of penalty shall not exceed the amount of money due from him.

12. Any amount of the tax, penalty or other amount due under this Act, shall be recoverable as arrears of land revenue on a certificate of the assessing authority. Recovery as land revenue.

CHAPTER IV

Appeals

13. (1) Any person aggrieved by an order assessing the tax, or imposing penalty under section 10 or section 11 may within thirty days of the order being communicated to him, appeal to the appellate authority in the prescribed manner : Appeals.

Provided that no such appeal shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of payment of not less than one-half of the tax assessed and penalty, if any, imposed on the person preferring the appeal.

(2) The appellate authority may admit an appeal after the expiry of the period referred to in sub-section (1) if it is satisfied that there was sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) The appellate authority shall, after affording the appellant an opportunity of being heard, pass such order in the appeal as it thinks fit and that order shall be final.

CHAPTER V

Miscellaneous

P
a: r to enforce
ance, etc.

14. For the purposes of carrying out the provisions of this Act the assessing authority and the appellate authority shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit in respect of—

(a) enforcing attendance of any person and examining him on oath or affirmation;

(b) compelling the production of any documents;

(c) issuing commission for the examination of any witness or for local investigation or for examination of accounts; and

(d) passing such interim orders as may be necessary in the ends of justice;

and any proceeding before such authority under this Act shall be deemed to be a judicial proceeding for the purposes of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

Rectification of
mistakes.

15. The assessing authority or the appellate authority may, at any time within one year from the date of assessment or disposal of appeal, rectify any mistake apparent on the face of the record of the assessment or appeal, as the case may be:

Provided that no rectification having the effect of enhancing the liability of the purchaser shall be made without allowing him an opportunity of being heard.

Bar to suits and
proceedings.

16. No suit shall lie in any court for the purpose of questioning any order made under this Act, and no prosecution, suit or other proceeding shall lie against any authority or the State Government for anything done in good faith under this Act.

Rules.

17. (1) The State Government may by notification make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for—

(a) the delimitations of a market according to area and period;

(b) the manner in which the tax shall be assessed paid or collected;

(c) the forms and registers to be maintained by the various authorities;

(d) the manner of farming out under section 7 the collection of tax;

(e) the seizure, custody and release of cattle under section 9;

(f) the form and manner of appeal under section 13 and the court fee payable thereon;

(g) the procedure to be followed by any officer or authority in the performance of functions under this Act;

(h) the making of refunds of amounts realised in excess;

(i) the information to be furnished to the assessing authority by a seller selling cattle in a market or by a person on whose land such market is held;

(j) the forms and the manner of service of notices and orders;

(k) any other matter which is to be, or may be prescribed.

SCHEDULE
(See SECTION 3)

<i>Name of Cattle</i>	<i>Rate of the tax per head</i>	<i>Rs.</i>
1. Goat or Sheep (male or female)	3
2. Buffalo Calf (male)	5
3. Camel Calf (male or female)	5
4. Cow Calf (female)	5
5. Swine	5
6. Buffalo Calf (female)	10
7. Cow Calf (male)	10
8. Turkey (male or female)	10
9. Cow	15
10. Mule or pony (male or female)	15
11. Buffalo (male)	20
12. Horse or mare	20
13. Camel (male or female)	25
14. Buffalo (female)	30
15. Bullock or Bull	30
16. Elephant (male or female)	50

Explanation—A calf means a young of cattle of such age as may be prescribed.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।